

चुतराराम पुत्र सालूराम वगैरा  
जाति जाट  
निवासी आसुओं की ढाणी पटवार  
क्षेत्र नेहरों की ढाणी  
तहसील सिणधरी व जिला बाड़मेर

अज अदालत  
फर्द अहकाम  
(नियम 26)

बनाम


दुर्गाराम पुत्र राजूराम वगैरा  
जाति जाट  
निवासी आसुओं की ढाणी पटवार  
क्षेत्र नेहरों की ढाणी  
तहसील सिणधरी व जिला बाड़मेर  
मुकदमा स.32 /2018

तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील मे जारी हुए
22.5.18	<p>महोदय यह वाद वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री दलाराम चौधरी द्वारा अन्तर्गत धारा 183,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया गया है। 1.कोर्ट फीस पूर्ण है। 2.वाछित दस्तावेज सलंगन/पूर्ण है। 3.प्रस्तुत वाद न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है। 4.अतः वाद दर्ज करने योग्य है।</p> <p>अवलोकनार्थ एंव आदेशार्थ</p>	
22.5.18	<p>सहायक कलक्टर (एस.डी.एम)सिणधरी यह वाद वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री दलाराम चौधरी द्वारा अन्तर्गत धारा 183,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया गया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। वकील वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण की तलबी जरिये रजिस्टर्ड ए.डी. जारी करने का निवेदन किया गया। जो प्रतिवादीगण को जरिये रजिस्टर्ड ए.डी नोटिस से तलब किया जावे। रजिस्ट्री खर्चा वादीगण की ओर से वहन किया जावेगा। वकील वादीगण को प्रतिवादीगण के सम्मन तलबी हेतु दस्ती दी जावें। पत्रावली वास्ते-प्रतिवादीगण की तलबी व जवाब दिनांक 4.6.2018 को पेश हो।</p>	
4.6.18	<p>पत्रावली राज्य लोक सहायक कलक्टर मे अलग सेफ्ट केस का.पि. 457 मे पेश हुए। वकील वादी अहु। प्रतिवादीगण का रजिस्टर्ड तलबी दिनांक 29.5.18 को कलक्टर की। जो प्रतिवादी का हतयात रोज Date 28.6.18 को पेश हो।</p>	


सहायक कलक्टर  
(S.D.O.)सिणधरी

25.7.23 पंजीक वापे उप।

~~पणजी वापे वरुन आदेश 4.10.23~~

को प्रिब   
सहायक कलक्टर  
SDO सिणधरी


सीमान जिला कलक्टर वाडमेर के पत्रांक 4018 दि 11.8.2023 डाय  
वाडमेर जिले से नवीन जिला बालोत्तरा का पूजन होने पर क्षेत्राधिकार के  
दृष्टिगत पुनर्वाई हेतु पत्रावली SDO गुडामालानी को मूल ही स्थानान्तरित  
की गयी है।

  
सहायक कलक्टर  
SDO सिणधरी

10/1/24

पत्रावली पेश हुई।  
जिस हम दीगर आवश्यक कार्यों  
में व्यस्त हैं। अतः इत्यादि लेकर  
पत्रावली आडन्व. 18/03/24 को पेश हो।

18/03/24 - पत्रावली काउ चेक हुई। कमील वाडिगण  
उपस्थित। कमील वाडिगण वरुन काउन्स  
कैरेंजी काउन्स पत्रावली दि 1/4/24  
को चेक है।



03/04/24 - दिनांक 01/04/24 को काउन्स काउन्स कोषित होने के  
पत्रावली काउ चेक हुई। कमील वाडिगण अनुपस्थित।  
वाडिगण अनुपस्थित। वाडिगण को मध्य अनुपस्थित।  
कोई समय में तीन बार तीन-तीन काउन्स दिनांक  
गर्भों वाउन्स काउन्स दिनांक के वाडिगण व  
वाडिगण के अनुपस्थित अनुपस्थित। अतः  
उपरोक्त उक्त उक्त वाडिगण की उक्त एकाई व  
उक्त जेरी के स्थापित किया जाता है। पत्रावली  
मिडिल सुगा लेकर वाडिगण उपर है।

